न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ ।
सत्र परीक्षण स0.0000388/2014

सरकार.....बनाम.....जितेन्द्र लोध

<u>आरोप</u>

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप 1.वीरेन्द्र यादव 2.सुरेन्द्र यादव व 3.शैलेन्द्र उर्फ नन्हके को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूॅः–

1. यह कि दिनॉक 13/10/2012 को समय समय करीब 18..बजे स्थान न्यू गांड़वारा थाना क्षेत्र आशियाना जिला लखनऊ में आप ने वादिनी मुकदमा शांति देवी के दामाद हरिश्चन्द्र व पुत्री विद्यावती को लात घूसे से मारपीट कर साधारण प्रकृति की चोटे पहुॅचायी और इस प्रकार आप ने धारा 323 सपठित धारा 34 भा0द0संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा शांति देवी के दामाद हरिश्चन्द्र एवं पुत्री विद्यावती को इस आशय से भद्दी–भद्दी गालियां दिया कि वह लोक शांति बाधित करने को बाध्य हो और इस प्रकार आप ने धारा 504 भा0द0संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा शांति देवी के दामाद हरिश्चन्द्र एवं पुत्री विद्यावती को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया और इसप्रकार से आप ने भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया जोकि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर अप ने वादिनी मुकदमा शांति देवी के दामाद हरिश्चन्द्र एवं पुत्री विद्यावती को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए मारापीटा,गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी और इसप्रकार से आप ने एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की धारा 3(1)10 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया जोकि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपो हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक :01/08/2015

(एस0ए0एच0रिजवी),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की याचना की ।

दिनॉक :01/08/2015

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट / अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0 0000388 / 2014

सरकार बनाम वीरेन्द्र यादव व अन्य

01–08–2015

पुकारा गया। अभियुक्त वीरेन्द्र यादव,सुरेन्द्र यादव व शैलेन्द्र उर्फ नन्हके उपस्थित हैं।

अभियुक्तण के विरुद्व थाना आशियाना द्वारा आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1) 10 एससीएसटी एक्ट प्रस्तुत किया गया है।

आरोप के विन्दु पर विद्वान अभियोजन अधिकारी एंव अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया एंव पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अभियेाजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोप विरचित किये जाने पर बल दिया। इसके विपरीत अभियुक्तगण की ओर से कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है । अतः उसे उन्मोचित किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस अभिलेखों से अभियुक्त के विरुद्व प्रथम दृष्टया आरोप अन्तर्गत धारा 323 / 34,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एससीएसटी एक्ट गठित होना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त पर आरोप अन्तर्गत धारा 323 / 34,504 / 506 भा0दं0सं0 व 3(1) 10 एससीएसटी एक्ट पृथक पत्र पर विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उसने आरोप अस्वीकार किया तथा परीक्षण चाहा।

अभियोजन साक्षी तलब हों। पत्रावली दिनॉक.....को साक्ष्य हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,एस0सी0 / एस0टी0एक्ट,
लखनऊ।